सं0 सं0-3/सी0 एस0/एम0 विविध-59/2013-554

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-24.10.2014

विषय : केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच लम्बित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु e-Samiksha के सम्बन्ध में।

प्रसंग : मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार का D.O. No.-1/50/2/2014-Cab दिनांक-16.09.14

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में कहना है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित लंबित मामलों के समाधान के सम्बन्ध में कार्रवाई की जाती रही है। इस सम्बन्ध में श्री अजीत सेठ, मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार द्वारा लिखा गया प्रासंगिक पत्र एवं उसके साथ संलग्न मार्गदर्शिका पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। उक्त पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, भारत सरकार द्वारा केन्द्र एवं राज्यों के बीच लंबित मामलों के समाधान हेतु एक Web Monitoring System ई-समीक्षा तैयार (design) किया गया है, जिसके माध्यम से लंबित मामलों की समीक्षा ससमय की जा सकती है। इस Software के माध्यम से केन्द्र-राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में लंबित मामलों की सूची प्राप्त की गई है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा रहा है।

लंबित मामलों की सूची में केन्द्र और राज्य सरकारों के विभागों में लंबित मामले को दर्शाया गया है। संबंधित विभाग या सरकार इस Software को किस प्रकार operate कर सकते हैं, मार्गदर्शिका में बताया गया है।

सचिव, भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

1. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को राज्य सरकार की ओर से इस कार्य हेतु नोडल विभाग तथा प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के दिशा निर्देश में विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।
2. प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को लंबित मामले की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रधान सचिव/सचिव के साथ मुख्य सचिवालय के सभागार में 11:00 बजे पूर्वाह्न में की जायगी। अवकाश की स्थिति में बैठक अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय पर होगी।
3. कोई भी नये issues विभाग द्वारा दर्ज कराने के पूर्व मुख्य सचिव की अनुमति आवश्यक है।
4. सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव इस कार्य हेतु एक विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे। Nodel Officer का दायित्व होगा कि वे अपने विभाग से सम्बन्धित नये issues या Updated status के सम्बन्ध में विभाग का प्रतिवेदन प्राप्त कर स्वयं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के नोडल पदाधिकारी के साथ बैठकर माह में एक बार या जब भी आवश्यक हो Software में update करायेंगे।
5. भारत सरकार के द्वारा status Update प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक करने का सुझाव दिया गया है।

6. सभी प्रधान सचिव/सचिव से अनुरोध है कि प्रत्येक माह के अंतिम तारीख तक अनिवार्य रूप से pending issues से सम्बन्धित Update अपने विभाग के नोडल पदाधिकारी के माध्यम से दर्ज कराने हेतु नोडल पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय को उपलब्ध करा देंगे। नोडल पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा प्रत्येक माह के द्वितिय सप्ताह में pending issues प्रतिवेदन को software से जेनरेट करते हुए ई-मेल के माध्यम से सम्बन्धित विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को उपलब्ध करायेंगे, ताकि pending issues की अद्यतन स्थिति की जानकारी बैठक के पूर्व सभी संबंधित विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को हो सके। सभी विभाग के नोडल पदाधिकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के नोडल पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर अपने विभाग से सम्बन्धित मामलों की अद्यतन स्थिति सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी प्राप्त करते रहेंगे।

7. सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभागों से सम्बन्धित भारत सरकार के विभिन्न विभागों की लंबित मामले की अद्यतन जानकारी स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली को भी उपलब्ध कराते रहेंगे। स्थानिक आयुक्त, भारत सरकार के सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर उनके निपटारे का प्रयास करेंगे।

अतः निदेशानुसार मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार से प्राप्त पत्र एवं उसके साथ संलग्न मार्गदर्शिका उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि दिनांक-07.11.2014 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में मुख्य सचिवालय के सभागार में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत बैठक में अद्यतन प्रतिवेदन (Update Status) एवं नया मामला यदि संज्ञान में हो तो उसके साथ भाग लेने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/सी0 एस0/एम0 विविध-59/2013-**554** दिनांक-**24.10.2014**

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव / विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/सी0 एस0/एम0 विविध-59/2013-**554** दिनांक-**24.10.2014**

प्रतिलिपि-स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 24.10.14
प्रधान सचिव

सं0 सं0-3/सी0 एस0/एम0 विविध-59/2013-**554**

बिहार सरकार

<u>मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</u>

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-**24.10.2014**

विषय : केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच लम्बित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु e-Samiksha के सम्बन्ध में।

प्रसंग : मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार का D.O. No.-1/50/2/2014-Cab दिनांक-16.09.14

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में कहना है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित लंबित मामलों के समाधान के सम्बन्ध में कार्रवाई की जाती रही है। इस सम्बन्ध में श्री अजीत सेठ, मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार द्वारा लिखा गया प्रासंगिक पत्र एवं उसके साथ संलग्न मार्गदर्शिका पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। उक्त पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, भारत सरकार द्वारा केन्द्र एवं राज्यों के बीच लंबित मामलों के समाधान हेतु एक Web Monitoring System ई-समीक्षा तैयार (design) किया गया है, जिसके माध्यम से लंबित मामलों की समीक्षा ससमय की जा सकती है। इस Software के माध्यम से केन्द्र-राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में लंबित मामलों की सूची प्राप्त की गई है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा रहा है।

लंबित मामलों की सूची में केन्द्र और राज्य सरकारों के विभागों में लंबित मामले को दर्शाया गया है। संबंधित विभाग या सरकार इस Software को किस प्रकार operate कर सकते हैं, मार्गदर्शिका में बताया गया है।

सचिव, भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

1. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को राज्य सरकार की ओर से इस कार्य हेतु नोडल विभाग तथा प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के दिशा निर्देश में विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।
2. प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को लंबित मामले की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रधान सचिव/सचिव के साथ मुख्य सचिवालय के सभागार में 11:00 बजे पूर्वाह्न में की जायगी। अवकाश की स्थिति में बैठक अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय पर होगी।
3. कोई भी नये issues विभाग द्वारा दर्ज कराने के पूर्व मुख्य सचिव की अनुमति आवश्यक है।
4. सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव इस कार्य हेतु एक विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे। Nodel Officer का दायित्व होगा कि वे अपने विभाग से सम्बन्धित नये issues या Updated status के सम्बन्ध में विभाग का प्रतिवेदन प्राप्त कर स्वयं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के नोडल पदाधिकारी के साथ बैठकर माह में एक बार या जब भी आवश्यक हो Software में update करायेंगे।
5. भारत सरकार के द्वारा status Update प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक करने का सुझाव दिया गया है।

6. सभी प्रधान सचिव/सचिव से अनुरोध है कि प्रत्येक माह के अंतिम तारीख तक अनिवार्य रूप से pending issues से सम्बन्धित Update अपने विभाग के नोडल पदाधिकारी के माध्यम से दर्ज कराने हेतु नोडल पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय को उपलब्ध करा देंगे। नोडल पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा प्रत्येक माह के द्वितिय सप्ताह में pending issues प्रतिवेदन को software से जेनरेट करते हुए ई-मेल के माध्यम से सम्बन्धित विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को उपलब्ध करायेंगे, ताकि pending issues की अद्यतन स्थिति की जानकारी बैठक के पूर्व सभी संबंधित विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को हो सके। सभी विभाग के नोडल पदाधिकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के नोडल पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर अपने विभाग से सम्बन्धित मामलों की अद्यतन स्थिति सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी प्राप्त करते रहेंगे।

7. सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभागों से सम्बन्धित भारत सरकार के विभिन्न विभागों की लंबित मामले की अद्यतन जानकारी स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली को भी उपलब्ध कराते रहेंगे। स्थानिक आयुक्त, भारत सरकार के सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर उनके निपटारे का प्रयास करेंगे।

अतः निदेशानुसार मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार से प्राप्त पत्र एवं उसके साथ संलग्न मार्गदर्शिका उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि दिनांक-07.11.2014 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में मुख्य सचिवालय के सभागार में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत बैठक में अद्यतन प्रतिवेदन (Update Status) एवं नया मामला यदि संज्ञान में हो तो उसके साथ भाग लेने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

24/10

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव